

परियोजना का नाम:- मसूरी सीवरेज योजना

36

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.165 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

प्रमाणित वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

जिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

मुख्य तकनीकज्ञ
मसूरी

उप-जिलाधिकारी
मसूरी, जि० देहरादून

District Magistrate
Dehra Dun.